



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-754/MP/13/2023-SSW

दिनांक: 06.02.2023


1. श्री सुधीर कुमार सक्सेना  
पुलिस महानिदेशक,  
मध्य प्रदेश सरकार,  
भोपाल -462008 (मध्य प्रदेश)  
ई मेल: dgppmp@mppolice.gov.in

2. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
सिंगरौली -486886 (मध्य प्रदेश)  
ई मेल: spsingrouli@gmail.com

विषय: अनुसूचित जनजाति के सिपाही पद हेतु उम्मीदवार को पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति ना देने के संबंध में- श्री मेथू मेडा, ग्राम - नल्दीछोटी, पोस्ट- करदावाद, बड़ी तहसील, जिला - झाबुआ का दिनांक 01.02.2023 का online अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मेथू मेडा से दिनांक 01.02.2023 में एक online याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

  
(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer  
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्री मेथू मेडा,  
ग्राम - नल्दीछोटी, पोस्ट- करदावाद, बड़ी तहसील,  
जिला - झाबुआ -457661(मध्यप्रदेश)  
Email- indiancomputerjhabua@gmail.com , Mob No- 9981708065

2. N/C - for uploading on the Commission Website.